DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली ।
शुक्रवार, 19 जनवरी 2024

40 साल पुरानी इस कॉलोनी में कई चुनौतियां

रीडिवेलपमेंट के लिए एसओपी होना जरूरी, RWA से क्लैश भी होने के चांस

NBT कायापलट
घर वही, सूरत नई

डीडीए के विकासपुरी में 40 साल पुराने आशीर्वाद कुंज डीजी-1 अपार्टमेंट जैसी पॉकेट में सबसे बुरी स्थिति ओपन एरिया की है। यहां लोग अपने फ्लैट्स की हालत पर तो खर्च कर देते हैं, लेकिन ओपन एरिया, छत आदि की मैनटेनेंस के लिए बजट नहीं होगा। यहां की आरडब्ल्यूए के पास भी फंडिंग का तरीका नहीं है। ऐसे में यहां पर रीडिवेलपमेंट बिना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसी (एसओपी) के कारगर नहीं हो सकता :

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए के 40 साल पुराने आशीर्वाद कुंज जैसे प्रोजेक्ट के रीडिवेलपमेंट में कई बाधाएं आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह की पॉकिट में रहने वाले लोगों ने अपने फ्लैट्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करवा लिया है। इस मॉडिफिकेशन में फ्लैट भी बड़े हो गए हैं। इस तरह की पॉकिट में कई ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक की अलग आरडब्ल्यूए हो सकती हैं। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट ओनर आरडब्ल्यूए की भी न सुनें। आरडबल्यूए और लोगों में टकराव की स्थिति रहती हो। इसलिए लोगों को एकजुट करना यहां काफी मुश्किल काम होगा। एक्सपर्ट के अनुसार 40 साल पहले डीडीए के जितने भी फ्लैट्स बने हैं उनमें न लिफ्ट की व्यवस्था थी न पार्किंग की। पार्किंग की वजह से अक्सर यहां लोगों में टकराव रहता है।

क्यों है रीडिवेलपमेंट की ज़रूरत

- डीडीए पॉकिट से अक्सर छज्जे गिरने, दीवार गिरने, फॉल्स सीलिंग गिरने की शिकायतें आती हैं
- कई बार इस तरह के हादसे में लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है
- डीडीए पॉकिट में अतिक्रमण की समस्या काफी अधिक बढ़ गई है
- आग लगने जैसा हादसा होने पर यहां फायद बिग्रेड की गाड़ी जाने तक की जगह नहीं मिलती
- इन पॉकिट्स की मेंटेनेंस लगभग बिलकुल नहीं हो पाती। ग्रीन स्पेस बिलकुल नहीं है
- पॉकिट्स में पार्क तो है लेकिन वह मेंटेन नहीं है। लोग उनमें अपने घरों का फालतू सामान तक रख देते हैं

'डीडीए का रोल सबसे अहम रहेगा'

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए के जैन ने बताया कि एलजी इस तरह के एरिया को रीडिवेलपमेंट करने के लिए एक कमिटी बनाएं। इस कमिटी में डीडीए का सबसे अहम रोल होगा। इसके अलावा कमिटी में एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली फायर सर्विसेज आदि से भी अधिकारी शामिल हो। यह कमिटी इस तरह के डीडीए पॉकिट्स के लिए एसओपी बना दें। एसओपी बनने के बाद लोगों को उसे फॉलो करते हुए रीडिवेलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिना एसओपी के यह काम आरडब्ल्यूए के आपसी झगड़े, विभागों के बीच तालमेल की कमी में ही अटक जाएगा। समय बढ़ने के साथ छज्जे गिरने, दीवारें गिरने के हादसे बढ़ने लगेंगे।

'स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाना ज़रूरी'

आर्किटेक्ट और रिसर्चर सुमंत शर्मा के अनुसार जब तक इस तरह के पॉकिट को रीडिवेलपमेंट नहीं किया जाएगा लोगों की लाइफस्टाइल का स्तर नहीं बदलेगा। रीडिवेलपमेंट के लिए पहले इस तरह की पॉकिट का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट होना जरूरी है। इस ऑडिट से हमें पता चल जाएगा कि बिल्डिंग अभी किस स्थिति में है और उसे किस तरह के रीडिवेलपमेंट की जरूरत है। यदि स्ट्रक्चर ठीक है तो ऐसे पॉकिट में ब्लॉकिज को ठीक किया जा सकता है। लिफ्ट लगाई जा सकती है और इनकी फेस लिफ्टिंग की जा सकती है। लोगों को इसके लिए तैयार किया जा सकता है कि भविष्य में बड़ा रीडिवेलपमेंट करना पड़ सकता है।

रोशनारा क्लब चलाने में भागीदारी की उठी मांग

HC ने क्लब के पूर्व संचालक की याचिका पर डीडीए से जवाब मांगा

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: रोशनारा क्लब के पूर्व प्रबंधन ने दिल्ली हाई कोर्ट से डीडीए को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि उसे यहां आउटडोर फैसिलिटी के संचालन में भाग लेने दें। कोर्ट ने क्लब की ओर से दाखिल अर्जी पर डीडीए को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने हालांकि इस मामले में क्लब को कोई तत्काल राहत नहीं दी। क्लब ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा, हम आउटडोर फैसिलिटी के संचालन के खिलाफ नहीं हैं। बल्कि हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन, लीज रिन्यू करने से जुड़ी डीडीए की प्रस्तावित नीति अंतिम रूप नहीं ले लेती, तब तक ऐसा कैसे संभव है। वकील ने कहा, मैं (क्लब का पूर्व प्रबंधन) चाहता हूं कि क्लब खुले। यह मेरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। मेरे 4500 के लगभग सदस्य और 500 कर्मचारी हैं। हमारी मांग बस इतनी है कि हमें क्लब के संचालन में शामिल होने दिया जाए। यह मेरा(क्लब प्रबंधन का) इन्फ्रास्ट्रक्चर है। 100 साल तक मैंने इस पर पैसा लगाया है। क्लब में 250 स्थायी और 250 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। उन्हें क्लब में काम करने दिया जाए, ताकि उन्हें सैलरी मिलती रहे। वकील ने आरोप लगाया कि अभी क्लब के अंदर उन लोगों तक को जाने नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने 15 लाख रुपये खर्च कर इसकी मेंबरशिप ले रखी है। डीडीए की ओर से एडवोकेट मानिका त्रिपाठी ने आवेदक के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अथॉरिटी जो भी कर रही है, वह मामले में पारित कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और व्यापक जनहित में है।

आउटडोर फैसिलिटी के संचालन में भागीदारी को लेकर की गई है यह मांग

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024 दैनिक जागरण | हिन्दुस्तान | नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 19 जनवरी 2024

सुनियोजित सतत्
विकास के लिए प्रतिबद्ध

दिल्ली विकास प्राधिकरण

भारत सरकार

प्रस्तुत करता है

एक आकर्षक व्यवसाय अवसर

ई-नीलामी

बांसेरा, सराय काले खां में लाइसेंस शुल्क आधार पर कैफे बैम्बू ओएसिस

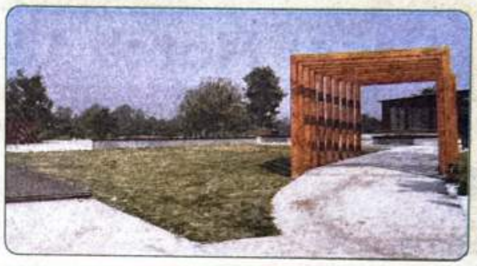

महत्वपूर्ण तिथियां एवं कार्यसूची

22.01.2024 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से
हेल्पडेस्क खुलना, पंजीकरण एवं ईएमडी जमा प्रारंभ

17.02.2024 (शनिवार) सायं 6.00 बजे तक
पंजीकरण एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि

20.02.2024 (मंगलवार)
कैफे बैम्बू ओएसिस के लिए ई-नीलामी

- प्लॉट/संपत्तियां एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी ई-ऑक्शन वेबसाइट https://ddaland.etender.sbi को देखें या हमारी वेबसाइट www.dda.gov.in पर उपलब्ध ई-ऑक्शन लिंक पर क्लिक करें और ई-ऑक्शन वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध "संपत्तियों की ई-नीलामी" लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड करें।
- इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त साइट पर "हमारे साथ पंजीकरण कराएं" लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अपना/अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। कृपया नोट करें कि डीडीए की ई-नीलामी के भागीदारी के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं का डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य है।
- डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने एवं भावी बोलीदाताओं के पंजीकरण/प्रशिक्षण के लिए और ई-नीलामी प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमारे सहायता डेस्कः 022 22811110, वैकल्पिक नम्बरः 079 6813 6848/6849/6806 से प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों में) या ई-मेल etender.support@sbi.co.in पर संपर्क करें।

कैफे के लोकेशन के लिए स्कैन करें

विस्तृत नियम व शर्तें डीडीए वेबसाइट **www.dda.gov.in** या **https://ddaland.etender.sbi** पर उपलब्ध हैं

विस्तृत नियम व शर्तों के लिए स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332 | ddaofficial | official_dda | official_dda_ | Official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, JANUARY 19, 2024

THE INDIAN EXPRESS.

Hindustan Times

सुनियोजित सतत्
विकास के लिए प्रतिबद्ध

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
GOVT. OF INDIA

OFFERS

AN AMAZING BUSINESS OPPORTUNITY

E-AUCTION OF
CAFÉ BAMBOO OASIS AT BAANSERA, SARAI KALE KHAN ON LICENCE FEE BASIS

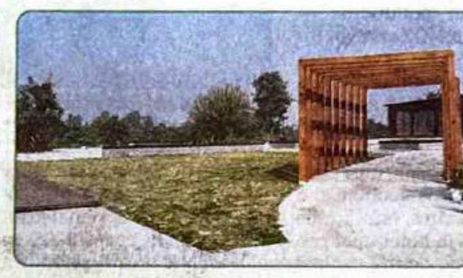
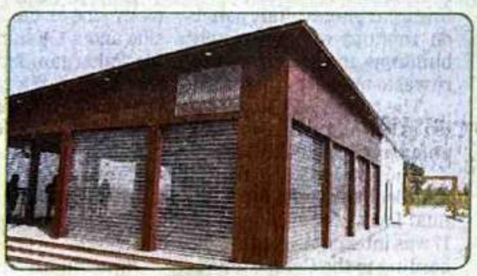
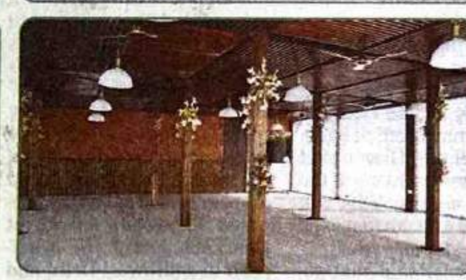

IMPORTANT DATES & EVENTS

22.01.2024 (Monday) from 10.00 AM
Opening of Helpdesk, Commencement of Registration & EMD Submission

17.02.2024 (Saturday) up to 06:00 PM
Closing Time of Registration & EMD Submission

20.02.2024 (Tuesday)
E-Auction for CAFÉ BAMBOO OASIS

- For details about plots/properties and procedure, kindly visit our e-auction website https://ddaland.etender.sbi or click the e-auction link available on our site www.dda.gov.in and download the same through "E-AUCTION OF PROPERTIES" link available at home page of e-auction website
- Intending bidders may register themselves/their firms online at the above site through "REGISTER WITH US" link. Kindly note that digital signature of all the intending bidders are mandatory to participate in e-auction of DDA
- For obtaining digital signatures and registration/training of prospective bidders and for any other clarification on e-auction process, please contact our Support Desk : 022 22811110, Alernate Number: 079 6813 6848/6849/6806 from 11.00 am to 5.00 pm (all working days) or e-mail at: etender.support@sbi.co.in

Scan for Location of the Café

The detailed terms and conditions are available at DDA website: **www.dda.gov.in** or **https://ddaland.etender.sbi**

Scan for Detailed Terms & Conditions

For more information dial Toll Free No. 1800110332 | ddaofficial | official_dda | official_dda_ | Official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | FRIDAY, 19 JANUARY, 2024 D

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Estate Officer
Central Zone, New Delhi
Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023

No.TN2(04)2023/LM/CZ/22 **Dated: 15/01/2024**

PUBLIC NOTICE

Whereas vide order no. TN2(04)2023/LM/CZ/396 dated 27.09.2023, the undersigned has evicted Roshanara Club Ltd and taken possession of its premises on 29.09.2023 in pursuance of order no. TN2(04)2023/LM/CZ/156 dated 12.04.2023 of the Estate Officer; and

Whereas during the said exercise of eviction and possession of the said premises of the Roshanara Club Ltd, the undersigned noticed that there are certain properties which are of a nature other than those subject to speedy and natural decay which are to be dealt with as per the procedure prescribed in section 6(1B) of the PPE Act, 1971; and

Whereas in terms of the provisions of section 6(1) of the PPE Act, 1971, a notice of 14 days is required to be given to the persons from whom possession of the public premises has been taken before removal of the property remaining on such premises by way of public auction; and

Whereas the property remaining on the premises is excluding those properties which were subject to speedy and natural decay, which have already been handed over to the officials of the Municipal Corporation of Delhi on 29.09.2023 for disposal in accordance with the relevant waste disposal rules, after issuing orders no. TN2(04)2023/LM/CZ/398 dated 29.09.2023 and order no. TN2(04)2023/LM/CZ/399 dated 29.09.2023 in terms of section 6(1B) of the PPE act, 1971; and

Whereas the property remaining on the premises which is to be disposed of in the manner as provided under section 6(1) of the PPE Act, 1971 is also excluding any building erected or works constructed upon the premises, to which the lessor has a right to take over at a valuation if he so wishes, as provided in the terms and conditions of the lease deeds of the two leases (one lease in respect of 51062 sq. yards and the other for 61688 sq. yards) which have been described in detail in the order no. TN2(04)2023/LM/CZ/156 dated 12.04.2023 of the Estate Officer; and

Whereas vide order No. TN2(04)2023/LM/CZ/404 dated 30.09.2023, in exercise of the powers conferred vide section 6(1) of the PPE Act, 1971, a 14 days' notice was given to the Roshanara Club Ltd. for removal of the properties as described above (i.e., excluding those which were subject to natural decay and the building erected or works constructed upon the premises, to which the lessor has a right to take over at a valuation if he so wishes) from the erstwhile premises of Roshanara Club Ltd; and

Whereas no action for removal of the properties as described above (i.e., excluding those which were subject to natural decay and the building erected or works constructed upon the premises, to which the lessor has a right to take over at a valuation if he so wishes) from the erstwhile premises of Roshanara Club Ltd was taken by the Roshanara Club Ltd.

Now, therefore, the undersigned, in exercise of the powers conferred vide section 6(1) of the PPE Act, 1971 hear by gives 14 days notice to the Roshanara Club Ltd. as last and final notice and opportunity for removal of the properties as described above (i.e., excluding those which were subject to natural decay and the building erected or works constructed upon the premises, to which the lessor has a right to take over at a valuation if he so wishes) from the erstwhile premises of Roshanara Club Ltd., failing which the said properties would be disposed of by way of public auction as per the procedure prescribed in section 6(1) of the PPE Act, 1971.

Estate Officer
Central Zone, New Delhi

To
Roshanara Club Ltd
Through The Secretary

Follow us on ddaofficial official_dda official_dda_ Official_dda
Please Visit DDA's website at www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800110332

millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 19 JANUARY, 2024

pioneer

सुनियोजित सतत्
विकास के लिए प्रतिबद्ध

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
GOVT. OF INDIA

OFFERS

AN AMAZING BUSINESS OPPORTUNITY

E-AUCTION OF

CAFÉ BAMBOO OASIS AT BAANSERA, SARAI KALE KHAN ON LICENCE FEE BASIS

IMPORTANT DATES & EVENTS

22.01.2024 (Monday) from 10.00 AM
Opening of Helpdesk, Commencement of Registration & EMD Submission

17.02.2024 (Saturday) up to 06:00 PM
Closing Time of Registration & EMD Submission

20.02.2024 (Tuesday)
E-Auction for CAFÉ BAMBOO OASIS

- For details about plots/properties and procedure, kindly visit our e-auction website https://ddaland.etender.sbi or click the e-auction link available on our site www.dda.gov.in and download the same through "E-AUCTION OF PROPERTIES" link available at home page of e-auction website
- Intending bidders may register themselves/their firms online at the above site through "REGISTER WITH US" link. Kindly note that digital signature of all the intending bidders are mandatory to participate in e-auction of DDA
- For obtaining digital signatures and registration/training of prospective bidders and for any other clarification on e-auction process, please contact our Support Desk : 022 22811110, Alernate Number: 079 6813 6848/6849/6806 from 11.00 am to 5.00 pm (all working days) or e-mail at: etender.support@sbi.co.in

Scan for Location of the Café

The detailed terms and conditions are available at DDA website: **www.dda.gov.in** or **https://ddaland.etender.sbi**

Scan for Detailed Terms & Conditions

For more information dial Toll Free No. 1800110332 | ddaofficial | official_dda | official_dda | Official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
शुक्रवार, 19 जनवरी 2024
पंजाब केसरी
DELHI

सुनियोजित सतत्
विकास के लिए प्रतिबद्ध

दिल्ली विकास प्राधिकरण

भारत सरकार

प्रस्तुत करता है

एक आकर्षक व्यवसाय अवसर

ई-नीलामी

बांसेरा, सराय काले खां में लाइसेंस शुल्क आधार पर कैफे बैम्बू ओएसिस

महत्वपूर्ण तिथियां एवं कार्यसूची

22.01.2024 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से
हेल्पडेस्क खुलना, पंजीकरण एवं ईएमडी जमा प्रारंभ

17.02.2024 (शनिवार) सायं 6.00 बजे तक
पंजीकरण एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि

20.02.2024 (मंगलवार)
कैफे बैम्बू ओएसिस के लिए ई-नीलामी

- प्लॉट/संपत्तियां एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी ई-ऑक्सन वेबसाइट https://ddaland.etender.sbi को देखें या हमारी वेबसाइट www.dda.gov.in पर उपलब्ध ई-ऑक्शन लिंक पर क्लिक करें और ई-ऑक्शन वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध "संपत्तियों की ई-नीलामी" लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड करें।
- इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त साइट पर "हमारे साथ पंजीकरण कराएं" लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अपना/अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। कृपया नोट करें कि डीडीए की ई-नीलामी के भागीदारी के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं का डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य है।
- डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने एवं भावी बोलीदाताओं के पंजीकरण/प्रशिक्षण के लिए और ई-नीलामी प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमारे सहायता डेस्कः 022 22811110, वैकल्पिक नम्बरः 079 6813 6848/6849/6806 से प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों में) या ई-मेल etender.support@sbi.co.in पर संपर्क करें।

कैफे के लोकेशन के लिए स्कैन करें

विस्तृत नियम व शर्तें डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.in या https://ddaland.etender.sbi पर उपलब्ध हैं

विस्तृत नियम व शर्तों के लिए स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332 | ddaofficial | official_dda | official_dda_ | Official_dda